स्व. रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार 2017 के लिये नियम शर्तें एवं प्रक्रिया

01. छत्तीसगढ़ स्व0 रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार नियम 2010 के तहत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्व. रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार श्रम के क्षेत्र में उत्कृष्ट उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्थान को दिया जाता है। इसके अंतर्गत **रूपये 2 लाख एवं प्रशस्ति पत्र** प्रदान किया जाता है।

अतएव श्रम के क्षेत्र में **01 अप्रेल 2016 से 31 मार्च 2017** की अवधि में उत्कृष्ट उल्लेखनीय योगदान जैसा कि श्रमिक क्षेत्र में आदर्श उदाहरण अर्थात कर्तव्यनिष्ठ, समय की पाबंदी, उत्पादन लागत में कमी, ऊर्जा की बचत, सौहार्द्रपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बनाये रखने में योगदान, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जिनके द्वारा मजदूरों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की दिशा में विशेष कारगर उपाय किया गया हो, जिसके फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में कोई गंभीर दुर्घटना न हुई हो एवं मजदूरों को सुरक्षा के सभी उपकरण प्रदान करने के साथ–साथ सुरक्षा के नियमों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया हो जिससे प्रदेश का नाम श्रम जगत में गौरवन्वित हुआ हो, जो अभी भी उस क्षेत्र में परिणाम मूलक ढंग से सक्रिय है।

02. उपरोक्तानुसार उल्लेखनीय कार्य कार्य करने वाले श्रमिक/संस्था उनके द्वारा किये गये कार्यों का संपूर्ण विवरण प्रख्यात व्यक्तियों एवं पत्र पत्रिकाओं द्वारा की गई टिप्पणीयों की छायाप्रतियां/सत्य प्रतिलिपियां, प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियां आवेदन घोषणा पत्र सहित **दिनांक 15.09.2017 अपरान्ह 5:00 बजे तक श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ कार्यालय, खण्ड– 03, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)** को स्पीड़ पोस्ट/पंजीकृत डाक से ही प्रस्तुत किये जा सकते है। श्रम यशस्वी पुरस्कार संबंधी नियम शर्ते, प्रक्रिया, आवेदन पत्र प्ररूप आदि संबंधी विज्ञप्ति श्रम विभाग की ॅमइ ।पजम ूण्बहसंइवनतण्हवअण्पदद्ध से भी डाउनलोड की जा सकती है।

(अविनाश चम्पावत)
श्रमायुक्त
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

स्व. रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार 2017
के लिए आवेदन पत्र

प्रति,

श्रमायुक्त,
छत्तीसगढ़,
खण्ड – 03, द्वितीय तल,
इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)

—— 000 ——

(01) **श्रमिक/संस्था का विवरण :–**

श्रमिक का नाम एवं पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पत्र व्यवहार का पूर्ण पता एवं दूरभाष क्रमांक	कार्यरत संस्था/कारखानें का नाम एवं पता
1	*2*	*3*	*4*

अथवा

कार्यरत संस्था/कारखानें का नाम एवं पता	कारखाना अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अनुज्ञप्ति क्रमांक	पत्र व्यवहार का पूर्ण पता एवं दूरभाष क्रमांक
1	*2*	*3*

(02) आवेदक श्रमिक/संस्था द्वारा किये गये कार्य/उपलब्धियों का सारगर्भित विवरण (अधिकतम 150 शब्दों में) प्रस्तुत किया जावे :–

घोषणा पत्र

मैं/हम घोषणा करता/करती/करते हूं/हैं कि :–

(अ) प्रपत्र में उल्लेखित श्रमिक/संस्था द्वारा पुरस्कार हेतु निर्धारित नियमों को पढ़ लिया है एवं इन सब नियमों को स्वीकार कर लिया है।

(ब) उपरोक्त विवरण पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणित है। उपरोक्त जानकारी असत्य पाये जाने के दशा में आवेदन निरस्त कर दिया जाए तथा असत्य जानकारी देने के लिए मैं/हम विधि के अनुसार उत्तरदायी रहूंगॉ/रहूंगी/रहेंगें।

दिनांक –

हस्ताक्षर

स्थान –

टीप :–

(1) श्रमिक/संस्था द्वारा श्रम के क्षेत्र में किये उत्कृष्ट एवं उल्लेखित कार्य का संपूर्ण विवरण प्रमाण पत्र संलग्न करें।

(2) यदि पूर्व में कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण संलग्न करें।

(3) श्रम के क्षेत्र में व्यक्ति/संस्था के उत्कृष्ट कार्यों के संबंध में प्रख्यात व्यक्तियों एवं पत्र, पत्रिकाओं द्वारा की गई टिप्पणी की फोटो कापियां सत्य प्रतिलिपियॉ संलग्न करें।